"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 847] नवा रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 7 नवम्बर 2025 — कार्तिक 16, शक 1947

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 7 नवम्बर 2025

अधिसूचना

क्र. RULE -801/202/2025-UAD.— छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 132 की उप-धारा (6) के खण्ड (ग) सहपठित धारा 433 तथा छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 127 की उप-धारा (6) के खण्ड (ग) सहपठित धारा 355 तथा 356 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नगरपालिका क्षेत्र की सीमाओं के भीतर कोई व्यापार करने के विनियमन के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

नियम

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ. - (1) ये नियम छत्तीसगढ़ नगरपालिका (व्यापार अनुज्ञापन) नियम, 2025 कहलाएगा।

(2) इन नियमों का विस्तार नगरपालिक निगमों, नगरपालिका परिषदों तथा नगर पंचायतों की अधिकारिता के अधीन सम्पूर्ण क्षेत्र पर होगा।

(3) ये नियभ राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) **"अधिनियम"** से अभिप्रेत है, यथास्थिति, छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956) तथा छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961);

(ख) **"आवेदक"** से अभिप्रेत है, कोई व्यक्ति, संस्था अथवा कंपनी या उनके द्वारा प्राधिकृत कोई प्रतिनिधि, जो व्यापार करने के लिए अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन करता है;

(ग) **"आयुक्त"** से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 5 की उप-धारा (11) में यथा परिभाषित नगरपालिक निगम का आयुक्त ;

(घ)"**मुख्य नगरपालिका अधिकारी**" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 3 की उप-धारा (5) में यथा परिभाषित नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत का मुख्य नगर पालिका अधिकारी;

(ड.) "**सक्षम प्राधिकारी**" से अभिप्रेत है, नगर पालिक निगम की अधिकारिता के अधीन आने वाले किसी क्षेत्र की दशा में, निगम आयुक्त अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी तथा नगर पालिका परिषद या नगर पंचायत, यथास्थिति की अधिकारिता के भीतर आने वाले किसी क्षेत्र की दशा में, मुख्य नगर पालिका अधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी;

(च) "**प्ररुप**" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न प्ररूप;

(छ) "**अनुज्ञप्तिधारी**" से अभिप्रेत है, कोई व्यक्ति, जिसे इन नियमों के अधीन कोई व्यापार करने हेतु अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है;

(ज)"**नगरपालिका**" से अभिप्रेत है, यथास्थिति, नगरपालिक निगम, नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत;

(झ) "**व्यक्ति**" से अभिप्रेत है, कोई व्यक्ति या अविभक्त हिन्दू परिवार या कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अधीन निगमित कोई कंपनी या भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का 9) अथवा सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 (2006 का 6) के अधीन निगमित कोई फर्म या व्यक्तियों का संघ अथवा व्यक्तियों का निकाय, चाहे वह निगमित हो अथवा नहीं या सहकारी सोसायटी से संबंधित किसी विधि के अधीन पंजीकृत कोई सहकारी सोसायटी अथवा कोई ऐसा संगठन, जिसे समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त निर्दिष्ट करे;

(ञ) "**व्यापार परिसर**" से अभिप्रेत है, किसी व्यापार को करने के लिए उपयोग किये जा रहे या उपयोग किए जाने के लिए आशयित कोई परिसर।

(2) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हुए हैं, किन्तु परिभाषित नहीं किए गए हैं, वही अर्थ होंगे, जो सामान्य या विशिष्ट रूप से अधिनियम में उनके लिए समनुदेशित किए गए हैं।

3. **विधिमान्य अनुज्ञप्ति के बिना व्यापार का ना किया जाना.-** किसी भी व्यक्ति को, संबंधित नगरपालिका से व्यापार अनुज्ञप्ति प्राप्त किए बिना, नगरपालिका की सीमा के भीतर, कोई व्यापार करने के लिए अनुमति नहीं दी जायेगी।

4. **व्यापार अनुज्ञप्ति का प्रदान किया जाना.-** इन नियमों के उपबंधों के अधीन, नगर पालिका क्षेत्र के भीतर, कोई भी व्यापार करने का इच्छुक और हकदार होने वाला कोई भी व्यक्ति, निर्धारित प्ररूप 'क' में विवरण/दस्तावेजों के साथ सक्षम प्राधिकारी को व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदन करेगा। अनुज्ञप्ति, इन नियमों के साथ संलग्न प्ररूप 'ख' में संबंधित नगरपालिका द्वारा प्रदान की जाएगी।

इन नियमों के अधीन, आवेदन यदि अन्यथा अस्वीकार नहीं किया जाता है, तो प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति प्रदान की जाएगी। सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदन प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर कोई निर्णय नहीं लिए जाने की दशा में, अनुज्ञप्ति प्रदान की गयी समझी जाएगी :

परन्तु सक्षम प्राधिकारी, अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से, आवेदित अनुज्ञप्ति देने से इन्कार कर सकेगा :

परन्तु यह और कि, इन नियमों के प्रारंभ होने से पूर्व विधिमान्य अनुज्ञप्ति के बिना नगरपालिका की सीमाओं के भीतर कोई व्यापार करने वाला कोई भी व्यक्ति, इन नियमों के प्रारम्भ होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर, अनुज्ञप्ति के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन करेगा।

5. **व्यापार अनुज्ञप्ति शुल्क.-** (1) प्रत्येक नगरपालिका, स्थानीय परिस्थिति पर निर्भर करते हुए सड़क की चौड़ाई या स्थान, जहाँ व्यापार परिसर स्थित है, के आधार पर, उन क्षेत्रों को वर्गीकृत करेगी, जिनमें व्यापार किया जा रहा है तथा निम्नलिखित तालिकाओं में यथा विहित अनुज्ञप्ति शुल्क निर्धारित करेगी:-

(क) भवन तथा खुले स्थान.

तालिका-एक

सड़क की चौड़ाई पर आधारित न्यूनतम वार्षिक व्यापार अनुज्ञप्ति शुल्क.-

सड़क की चौड़ाई	न्यूनतम व्यापार अनुज्ञप्ति शुल्क (रुपए प्रति वर्ग फुट/प्रति वर्ष)		
	नगरपालिक निगम	नगरपालिका परिषद्	नगर पंचायत
7.5 मीटर से कम	4	3	2
7.5 मीटर से 15 मीटर तक	5	4	3
15 मीटर से अधिक	6	5	4

तालिका-दो

व्यापार परिसर की अवस्थिति पर आधारित न्यूनतम वार्षिक व्यापार अनुज्ञप्ति शुल्क.-

व्यापार परिसर की अवस्थिति	न्यूनतम व्यापार अनुज्ञप्ति शुल्क (रुपए प्रति वर्ग फुट/प्रति वर्ष)		
	नगरपालिक निगम	नगरपालिका परिषद्	नगर पंचायत
मोहल्ला/कालोनी में	4	3	2
छोटे और मध्यम आकार के बाजारों में	5	4	3
वृहद् बाजारों में	6	5	4

टीप (1)– तालिका-दो के आधार पर दरों के निर्धारण हेतु, नगर पालिका का यह दायित्व होगा कि इस नियम के प्रावधानों के लागू होने के15 दिवस के भीतर मोहल्ला/कालोनी के बाजार/छोटे और मध्यम आकार के बाजार/वृहद् बाजार की सूची का प्रकाशन करें। नगर पालिका का यह भी दायित्व होगा कि वह समय-समय पर नवीन बाजारों का निर्धारण करें।

(2)-निकाय में स्थित, ऐसे समस्त व्यावसायिक परिसर, जो इन बाजारों में अवस्थित ना हो, के संबंध में, तालिका-एक की दरें अवधारित की जायेंगी:

परन्तु वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क की अधिकतम राशि-

(क) नगरपालिक निगम की दशा में - ₹ 30,000 (तीस हजार)
(ख) नगरपालिका परिषद की दशा में - ₹ 20,000 (बीस हजार)
(ग) नगर पंचायत की दशा में - ₹ 10,000 (दस हजार)
से अधिक नहीं होगी।

(ख) गुमटी/कच्ची दुकानों के लिए न्यूनतम वार्षिक व्यापार अनुज्ञप्ति शुल्क –

व्यापार परिसर का प्रकार	न्यूनतम व्यापार अनुज्ञप्ति शुल्क (रुपए प्रति वर्ग फुट/प्रति वर्ष)		
	नगरपालिक निगम	नगरपालिका परिषद्	नगर पंचायत
गुमटी/कच्ची दुकान	250	150	100

(ग) वाहनों के माध्यम से किए जाने वाले व्यापार के लिए न्यूनतम व्यापार अनुज्ञप्ति शुल्क.-

वाहन का प्रकार	न्यूनतम व्यापार अनुज्ञप्ति शुल्क (रुपए प्रतिवाहन / प्रति वर्ष)		
	नगरपालिक निगम	नगरपालिका परिषद्	नगर पंचायत
मोटरयान (मिनी ट्रक/पिकअप वेन/जीप इत्यादि)	400	300	200
ऑटो रिक्शा/तिपहिया वाहन इत्यादि	250	200	150

टीप :-व्यापार अनुज्ञप्ति प्राप्त कोई भी वाहन यह सुनिश्चित करेगा कि यातायात को कोई अवरोध न हो। यदि ऐसे वाहन द्वारा यातायात में कोई अवरोध कारित किया जाता है, तो अनुज्ञप्ति निरस्त कर दी जाएगी:

परन्तु नगरपालिका, उस क्षेत्र की व्यावसायिक सम्भावनाओं का आंकलन करके, जहाँ कि व्यापार परिसर स्थित है, उपरोक्त तालिकाओं में विहित शुल्क की तुलना में उच्चतर दर पर व्यापार अनुज्ञप्ति शुल्क नियत कर सकेगीः

परन्तु यह और कि आगामी वित्तीय वर्षों में, नियम 5 के अधीन अधिरोपित व्यापार अनुज्ञप्ति शुल्क, प्रत्येक 2 वर्ष में न्यूनतम 5% बढ़ाया जाएगा।

6. व्यापार अनुज्ञप्ति शुल्क का भुगतान.- व्यापार अनुज्ञप्ति शुल्क, यथास्थिति, अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाते समय या नवीनीकरण के समय, अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता की पूरी अवधि के लिए अग्रिम रूप से देय होगा।

7. अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता अवधि. - इन नियमों के अधीन प्रदान की गई प्रत्येक अनुज्ञप्ति, यदि वह इन नियमों के किन्हीं भी उपबंधों के उल्लंघन के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अन्यथा निलंबित या रद्द ना की जाए तो अधिकतम 10 वर्ष की कालावधि के लिए विधिमान्य होगी।

आवेदक द्वारा 02 वर्ष से 10 वर्ष के मध्य अवधि का चयन किया जा सकेगा, तथापि, आवेदक को चयनित अवधि के लिए विहित शुल्क आवेदन के साथ देना होगा।

8. नवीनीकरण. - (1) नवीनीकरण के लिए आवेदन, विद्यमान विधिमान्य अनुज्ञप्ति की समाप्ति की तारीख से कम से कम 1 माह पूर्व, यथा विहित अनुज्ञप्ति शुल्क के भुगतान के साथ किया जाएगा। व्यापार अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक होंगे-

(क) मूल अनुज्ञप्ति की प्रति;
(ख) नगरपालिका को देय शुल्क के अद्यतन भुगतान का प्रमाण।

अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण, यदि आवेदन अन्यथा अस्वीकार न किया जाए, तो आवेदन की प्राप्ति से 15 दिनों के भीतर किया जाएगा। यदि सक्षम प्राधिकारी, 15 दिनों के भीतर कोई निर्णय नहीं लेता है, तो अनुज्ञप्ति नवीनीकृत हुई समझी जाएगी।

(2) यदि अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्ति के समाप्त होने के छह माह के भीतर अनुज्ञप्ति नवीनीकरण के लिए आवेदन करता है, तो अनुज्ञप्ति शुल्क के 15% की दर से शास्ति अधिरोपित की जाएगी। यदि अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति की समाप्ति से 6 माह की अवधि के पश्चात् अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के

लिए आवेदन करता है, तो उस पर पूर्व से अधिरोपित शास्ति के अतिरिक्त, विलंब की अवधि के लिए ₹10 प्रतिदिन की दर से शास्ति अधिरोपित की जायेगी।।

(3) यदि अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्ति की समाप्ति के 1 वर्ष के भीतर अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के लिए आवेदन करने में असफल रहता है, तो सक्षम प्राधिकारी, व्यापार अनुज्ञप्ति को निरस्त करने तथा व्यापार परिसर को सील करने के लिए प्राधिकृत होगा।

9. व्यापार अनुज्ञप्ति के उपयोग के लिए शर्तें.- (1) अनुज्ञप्ति की एक प्रति, अनुज्ञप्त परिसर में सहजदृश्य स्थान पर प्रदर्शित की जानी चाहिए।

(2) केन्द्रीय सरकार/ राज्य सरकार/ जिला प्रशासन/ नगर पालिका द्वारा समय-समय पर जारी सभी आदेशों/निर्देशों का कठोरता से अनुपालन किया जायेगा ।

(3) अनुज्ञप्त परिसर के सामने फुटपाथ या सार्वजनिक सड़क पर कोई अवरोध अथवा अतिक्रमण नहीं किया जाएगा। अनुज्ञप्त परिसर के सामने किसी तरह की होर्डिंग/विज्ञापन/अवैध पार्किंग की अनुमति नहीं होगी।

(4) अनुज्ञप्तिधारी, धुएं, गैस, वाष्प, धूल, गंध, शोर या अन्य ऐसी अशुद्धियों द्वारा उत्पन्न होने वाले अपदूषण (न्यूसेंस) की रोकथाम के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा अपेक्षित उपायों को अपनाएगा।

10. जमा की जाने वाली शास्ति की राशि.- अनुज्ञप्तिधारी, शास्ति की राशि को संबंधित नगरपालिका के कार्यालय में अथवा नगरपालिका के ऑनलाइन भुगतान पोर्टल के माध्यम से जमा करेगा।

11. सक्षम प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील.- यदि अनुज्ञप्तिधारी, सक्षम प्राधिकारी के किसी आदेश से व्यथित है, तो वह-

(क) नगरपालिक निगम की दशा में, छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 403 की उप-धारा (4) के अधीन अपील, समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा;

(ख) नगरपालिका परिषद की दशा में, छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 307 के अधीन अपील, समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा; अथवा

(ग) नगर पंचायत की दशा में, छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 308 के खण्ड के अधीन कलेक्टर के समक्ष अपील प्रस्तुत करेगा।

12. **एक निर्धारित परिसर के लिए अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता.-** एक अनुज्ञप्ति, केवल अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट परिसरऔर उस व्यवसाय के लिए विधिमान्य होगी, जिसके लिए इसे जारी किया गया है तथा यदि अनुज्ञप्तिधारी, विद्यमान परिसर को छोड़ना चाहता है अथवा व्यवसाय में परिवर्तन करना चाहता है, तो वह नवीन अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करेगा।

13. **परिसर को खाली करना.-** यदि अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्ति की अवधि के दौरान परिसर को खाली करता है या कब्जा छोड़ देता है, तो वह तत्काल सक्षम प्राधिकारी को इस विषय में सूचित करेगा।

14. **गैर-हस्तांतरणीयता.-** (1) परिसर के परिवर्तन या व्यापार के परिवर्तन की दशा में अनुज्ञप्ति हस्तांतरणीय नहीं है।

(2) जहाँ व्यापार या परिसर में, जिससे अनुज्ञप्ति संबंधित है, की प्रकृति में यदि कोई परिवर्तन नहीं होता है, और अनुज्ञप्तिधारी उक्त अनुज्ञप्ति को किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित करना चाहता है, तो वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क के 10% शुल्क सहित आवेदन सक्षम प्राधिकारी को करने पर, अनुज्ञप्ति का अंतरण किया जा सकेगा।

15. **शास्तियाँ.-**(1) सक्षम प्राधिकारी, किसी भी समय किसी अनुज्ञप्तिधारी के परिसर का निरीक्षण कर सकेगा और यदि इन नियमों के किसी उपबंध के उल्लंघन का पता चलता है, तो वह अनुज्ञप्तिधारी को किसी विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए नोटिस जारी कर सकेगा। यदि, अनुज्ञप्तिधारी नोटिस में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उसमें दिए गए निर्देशों का युक्तियुक्त समाधान नहीं करता है, तो सक्षम प्राधिकारी, कोई शास्ति अधिरोपित कर सकेगा, जो वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क का 50% होगी अथवा अनुज्ञप्ति रद्द कर सकेगा।

(2) कोई परिसर, जिसमें विधिमान्य अनुज्ञप्ति के बिना, कोई व्यापार किया जाना पाया जाए, उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा सील किया जाएगा तथा समान प्रकार और समान रूप से स्थित व्यापार के लिए लागू वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क के दोगुने के समतुल्य शास्ति अधिरोपित की जाएगी।

16. **निपटान.**-नगरपालिका के समक्ष लंबित मामलों को वापस लेने अथवा विवादों के निपटान की शक्तियाँ, सक्षम प्राधिकारी में निहित होंगी।

17. **सरकारी कार्यालय को लागू नहीं.**- ये नियम, सरकारी कार्यालयों, सरकारी स्वशासी निकायों, जिनमें कोई व्यापार नहीं किया जाता है, को लागू नहीं होंगे।

प्ररूप- क
(नियम 4 देखिए)
छत्तीसगढ़ नगरपालिका (व्यापार अनुज्ञापन) नियम, 2025 के अधीन अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन पत्र का प्ररूप

1.	बड़े अक्षरों में, आवेदक का पूरा नाम, (यदि आवेदक स्वामी नहीं है, तो व्यापार/व्यवसाय/कार्यालय के स्वामी द्वारा प्राधिकार पत्र संलग्न करें)	पहचान पत्र संलग्न करें
2.	दुकान/व्यवसाय/कार्यालय प्रारंभ दिनांक	
3.	जिले का नाम	
4.	नगरीय निकाय का नाम	
5.	पत्राचार का पता	
6.	दुकान/व्यवसाय/कार्यालय इत्यादि का नाम	
7.	व्यापार/व्यवसाय परिसर का पता	
8.	व्यापार/व्यवसाय का विवरण	
9.	दूरभाष क्रमांक	
10.	ई-मेल पता	
11.	क्या आवेदक परिसर का स्वामी है (यदि नहीं, तो स्वामी से संबंधित आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें)	प्रमाणित दस्तावेज संलग्न करें
12.	दुकान/कार्यालय/स्थापना का प्रकार (रेस्टोरेंट/डेली नीड्स /राशन /इलेक्ट्रिसिटी / इत्यादि) कृपया जानकारी दर्ज करें	
13.	व्यापार/व्यवसाय परिसर का क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	

14.	क्या अन्य प्राधिकारी, अर्थात् आबकारी विभाग, पर्यटन विभाग, लोक स्वास्थ्य विभाग, पीसीबी आदि द्वारा व्यापार/व्यवसाय चलाने के लिए अनुज्ञप्ति/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान दिया गया है (जहाँ भी लागू हो)	

मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी, मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है।

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम - ....

दूरभाष नं. ....

प्ररूप- ख
(नियम 4 देखिए)
छत्तीसगढ़ नगरपालिका (व्यापार अनुज्ञापन) नियम, 2025 के अधीन पंजीयन तथा उपयोग की अनुज्ञप्ति
नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद् /नगर पंचायत..................

सरल क्र................ दिनांक ------------------

श्री............................ (अनुज्ञप्तिधारी का नाम) को, नगरपालिक निगम/ नगरपालिका परिषद्/ नगर पंचायत............................. के क्षेत्र में वार्ड क्र. .... के परिसर .... (परिसर का नाम) का .... व्यवसाय का संचालन करने के प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ नगरपालिका (व्यापार अनुज्ञापन) नियम, 2025 के अनुसार रू .... प्रति वर्ष शुल्क का भुगतान किये जाने पर यह अनुज्ञप्ति प्रदान की जाती है। अनुज्ञप्तिधारी इन नियमों में दी गई सभी शर्तों का अनुसरण करेगा एवं उन्हें पूरा करेगा। यह अनुज्ञप्ति किसी नगरपालिका प्राधिकारी को मांगे जाने पर निरीक्षण हेतु प्रस्तुत की जाएगी।

अनुज्ञप्ति (दिनांक)......................................तथा नियमानुसार इसका नवीनीकरण किए जाने तक विधिमान्य है।

(सक्षम प्राधिकारी)
नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/
नगर पंचायत
हस्ताक्षर सहित सील

अनुज्ञप्ति की शर्तें- (1) अनुज्ञप्ति शुल्क गैर-वापसी योग्य है और यह केवल परिसर और अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट व्यापार के लिए विधिमान्य है। इसे परिसर के किसी सहजदृश्य स्थान पर प्रदर्शित किया जाएगा।

(2) यह अनुज्ञप्ति, अनुज्ञप्तिधारी को तत्समय प्रवृत्त विधि के किन्हीं अन्य उपबंधों से उद्भूत दायित्वों से मुक्त नहीं करती है।

(3) अनुज्ञप्तिधारी, नियमों में विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुसरण करेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेणुका श्रीवास्तव, उप–सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 7 नवम्बर 2025

क्र. RULE -801/202/2025-UAD.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 7–11–2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेणुका श्रीवास्तव, उप–सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 7th November 2025

NOTIFICATION

F. RULE -801/202/2025-UAD.— In exercise of the powers conferred by Section 433 read with clause (c) of sub-section (6) of Section 132of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) and Section 355 and 356 read with clause (c) of sub-section (6) of Section 127 of the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), the State Government, hereby, makes the following rules for regulation of carrying out any trade within the limits of municipal area, namely:-

RULES

encement.- (1) These Rules may be called the Chhattisgarh Municipality (Trade Licensing) Rules, 2025.

(2) They shall extend to the entire area under the jurisdiction of the Municipal Corporations, Municipal Councils and Nagar Panchayats.

(3) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.- (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) **"Act"** means the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) and the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) as the case may be;

(b) **"Applicant"** means, any person, organization or company or any representative authorized by them, who applies for License to carry out any trade;

(c) **"Commissioner"** means, Commissioner of Municipal Corporation as defined in sub-section (11) of Section 5 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956;

(d) **"Chief Municipal Officer"** means, Chief Municipal Officer of Municipal Council/Nagar Panchayat as defined in sub-section (5) of Section 3 of the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961;

(e) **"Competent Authority"** means, Municipal Commissioner or any officer authorized by him in case of area falling under jurisdiction of the Municipal Corporation and Chief Municipal Officer or any other officer authorized by him, in case of any area falling within the jurisdiction of Municipal Council or Nagar Panchayat, as the case may be;

(f) **"Form"** means, form appended to these Rules;

(g) **"Licensee"** means, the person to whom License has been granted to carry out any trade under these Rules:

(h) **"Municipality"** means, Municipal Corporation, Municipal Council or Nagar Panchayat, as the case may be;

(i) **"Person"** means, an Individual, or a Hindu undivided family or a Company incorporated under the Companies Act, 2013 (No. 18 of 2013) or a firm incorporated under the Indian Partnership Act, 1932 (No. IX of 1932) or the Limited Liability Partnership Act, 2008 (No. 6 of 2009) or an association of persons or body of individuals whether incorporated or not or a cooperative society registered under any law relating to cooperative societies or any such organization as appropriate Government, may by notification, specify in this behalf;

(j) **"Trade Premises"** means, any premises being used or intended to be used for carrying out any trade.

(2) Words and expressions used but not defined in these rules shall have the same meaning as assigned to them generally or specifically under the Act.

3. **Trade not to be carried out without valid License.-** No person shall be permitted to carry out any trade, Within the municipal limit, without obtaining a Trade License from that concerned municipality.

4. **Grant of Trade License.-** Any person intending and being entitled, under provisions of these Rules, to carry on any trade, within the municipal area, shall apply to the Competent Authority for grant of Trade License in the prescribed Form-A, along with details/documents. The License shall be granted by the concerned Municipality in Form-B annexed with these rules.

The License under these rules shall be granted by the Competent Authority within 15 days of receipt of application, if otherwise not rejected. In case, no decision is taken by the Competent Authority, within 15 days of receipt of application, the License shall be deemed to have been granted:

Provided that, Competent Authority, by reasons to be recorded, may refuse to grant the License applied:

Provided further that any person carrying on any trade within municipal limits without a License prior to commencement of these Rules, shall within 60 days from the date of commencement of these Rules, apply to the Competent Authority for a License.

5. **Trade License Fee.-** (1) Every Municipality shall, categories the areas in which trade is being carried out, based on the width of the road or location where trade premises is situated, depending upon the local situation and determine the Trade License Fee as prescribed in the following tables:-

(A) Buildings and Open Spaces.

TABLE-I

Minimum annual Trade License Fee based on width of Road-

Width of Road	Minimum Trade License Fee (Rupees per square feet/per Annum)		
	Municipal Corporation	Municipal Council	Nagar panchayat
Less than 7.5 Meters	4	3	2
Between 7.5 Meters and 15 Meters	5	4	3
More than 15 Meters	6	5	4

TABLE-II

Minimum annual Trade License Fee based on location of Trade Premises-

Location of Trade Premises	Minimum Trade License Fee (Rupees per square feet/per Annum)		
	Municipal Corporations	Municipal Council	Nagar Panchayat
In Mohalla/Colonies	4	3	2

In small and medium sized Markets/ Bazars	5	4	3
In large Market/Bazars	6	5	4

Note: (1) For determination of rates on the basis of Table-II, it shall be the duty of the Municipality to publish the list of Mohalla/Colony Market/Small and Medium Size Market/large Market within 15 days of coming into force of the provision of this rule. It shall also be the duty of the Municipality to determine new markets from time to time.

(2) In respect of all such trade premises situated in the body which are not located in these markets. The rates in Table-I shall be determined:

Provided that the maximum amount of annual License Fee shall not exceed-

~~(a) In case of Municipal Corporation- ₹ 30,000 (Thirty thousand)~~
(b) In case of Municipal Councils- ₹ 20,000 (Twenty thousand)
(c) In case of Nagar Panchayats- ₹ 10,000 (Ten thousand)

(B) Minimum annual Trade License fee for Kiosks/Kutcha shops-

Category of Trade Premises	Minimum Trade License Fee (Rupees per square feet/per Annum)		
	Municipal Corporations	Municipal Council	Nagar panchayat
Kiosk/ Kutcha Shops	250	150	100

(C) Minimum Trade License Fee for Trade through Vehicles-

Type of Vehicle	Minimum Trade License Fee (Rupees Per Vehicle/Per Annum)		
	Municipal Corporations	Municipal Council	Nagar panchayat

Motor Vehicle (Mini Truck/Pickup Van/Jeep etc.)	400	300	200
Auto Rickshaw /Three wheeler etc.	250	200	150

Note: Any vehicle having trade License shall ensure that there is no hindrance to the traffic. In case any hindrance to traffic is caused by it, the License shall be cancelled:

Provided that the municipality, by assessing business potential of the area where trade premises is situated, may fix the trade License fee at a higher rate than the fee prescribed in the above tables:

Provided further that in the ensuing financial years, trade License fee imposed under rule 5 shall be increased by minimum 5% in every 2 years.

6. **Payment of Trade License Fee.-** Trade License fee shall be payable in advance at the time of grant of License or at the time of renewal, as the case may be, for the entire period of the validity of the License.

7. **Validity Period of License.-** Every License granted under these rules shall be valid for a period of maximum 10 years, if otherwise, not suspended or cancelled by the competent authority for violation of any provisions of these rules.

The applicant may select a period between 2 years to 10 years, However, the applicant has to submit the prescribed fee for the selected period along with the application.

8. **Renewal.-** (1) Application for renewal shall be made at least 1 month before the date of expiry of the existing valid License along with payment of the License fee, as prescribed. Following Documents required for the renewal of a Trade License-
   (a) Copy of original License;
   (b) Proof of up-to-date payment of municipal dues.

The renewal of License shall be done within 15 days of receipt of application, if otherwise not rejected. In case Competent Authority, does not take a decision within 15 days, the License shall be deemed to have been renewed.

(2) If the licensee applies for renewal of the license within 6 months from the expiry of the license, a penalty at the rate of 15% of the license fee shall be imposed. If the licensee applies for renewal of the license after a period of 6 months from the expiry of the license, in addition to the penalty already imposed on him, a penalty of ₹ 10 per day shall be imposed for the period of delay.

(3) In case the Licensee fails to apply for the renewal of License within 1 year of expiry of the License, the Competent Authorities shall be authorized to cancel the trade License and seal the trade premises.

9. **The Conditions For use of Trade License.-** (1) A copy of License should be displayed at the Licensed premises at a conspicuous place.

(2) All orders/ directions issued by the Central Government/ State Government/District Administration/ Municipality from time to time shall be complied strictly.

(3) No impediments or encroachment shall be made on the footpath or public road in front of the Licensed premises No hoardings/advertisements/illegal parking will be permitted in front of the license premises.

(4) The Licensee shall adopt measures as may be required by the Competent Authority for the prevention of all nuisances by smoke, gas, vapor, dust, smell, noise, or other such impurities.

10. **Amount of penalty to be deposited.-** The Licensee may deposit the amount of penalty in the office of concerned municipality or through on-line payment portal of the municipality.

11. **Appeal against order of the Competent Authority.-** If the Licensee is aggrieved by any orders of the Competent Authority, he shall-

(a) In case of Municipal Corporation file an appeal before the Appeal Committee under sub-section (4) of Section 403 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956.

(b) In case of Municipal Councils file an appeal before the Appeal Committee under Section 307 of the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961; or

(c) In case of Nagar Panchayat file an appeal before the Collector under clause (d) of Section 308 of the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961.

12. **Validity of License to a set Premises.-** A License is valid only for the premises specified in the License and for the trade for which it has been issued, and if the Licensee desires to leave the existing premises or change the trade, he shall apply for a fresh License.

13. **Vacating Premises.-** If the Licensee vacates or gives up possession of the premises during the period of the License, he shall forthwith inform the Competent Authority of the same.

14. **Non-Transferability.-** (1) License is not transferable in case of change of premises or change in the trade.

(2) The License may be transferred on application to the Competent Authority along with 10% of annual License fee if there is no alteration in the nature of trade or in the premises to which the license relates, and the licensee intends to transfer the said license in favor of another person.

15. **Penalties.-** (1) Competent Authority may inspect premises of any Licensee at any time and if any violation of any provision of these rules is detected, issue notice to Licensee to take necessary action within a specified period. In case, the Licensee does not provide reasonable solution to the instructions given in the notice, within the period specified therein, the Competent Authority may impose a penalty which shall be fifty percent of the annual License fee or may cancel the License.

(2) Any premises in which any trade is found to be carried out, without a valid License, shall be sealed by the Competent Authority and a penalty equivalent to the twice of the annual License fee applicable to the similar type and similarly situated trade, shall be imposed.

16. **Settlement.-** The Competent Authority shall have the power to withdraw cases or to settle disputes pending before the Municipality.

17. **Not Applicable to Government Office.-** These rules shall not be applicable to Government offices, Government autonomous bodies in which no trade is carried out.

FORM-A

(see rule 4)

Application form for License under Chhattisgarh Municipality (Trade Licensing) Rules, 2025.

1.	in capital letters, Full name of the applicant, (if the applicant is not the owner, attach authorization letter by the owner of the business/profession/office)	Attach ID proof
2.	Shop/Business/Office Start Date	
3.	District Name	
4.	Urban Body Name	
5.	Correspondence Address	
6.	Name of the shop/business/office etc.	
7.	Address of the trade/business premises	
8.	Description of the trade/business	
9.	Telephone Number	
10.	E-Mail I'd	
11.	Whether the applicant is the owner of the premises (If not, attach necessary documents regarding the owner)	Attach proof documents
12.	Type of shop/office/establishment (Restaurant/Daily Needs/Ration/Electricity/etc) Please enter information	
13.	Area of the trade/business premises (in sq. ft.)	
14.	Whether other authority, i.e. has been granted license/NOC to carry on the trade/business by Excise Department, Tourism Department, Public Health Department, PCB etc. (wherever applicable)	

The above information given by me is true. to the best of my knowledge and belief.

Signatures of the applicant

Name ....

Telephone No. ....

FORM-B

(see rule 4)

License of registration and use under the Chhattisgarh Municipality (Trade Licensing) Rules, 2025

Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat..........

Serial No…….. Dated……….

License is hereby granted to......... (name of the Licensee) for making use of premises at..................... (address of premises) of ward No. .... in area of .... Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat for the purpose of carrying out trade of .... on payment of a fee of .... per annum as per the Chhattisgarh Municipality (Trade Licensing) Rules,2025. The Licensee shall follow and fulfil the conditions given in the rules. This License shall be produced for inspection to any municipal authority on demand.

License is valid upto …….....and subject to further renewal as per the Rules.

(Competent Authority)
……............ Municipal Corporation/
Municipal Council/Nagar Panchayat

Signature with Seal

Conditions of License- (1) The License fee is non-refundable and it is valid only for the premises and for the trade specified in the License. It shall be exhibited at a conspicuous place of the premises.

(2)This License does not absolve the Licensee from the obligations arising out of any other provisions of the law for the time being in force.

(3)The Licensee shall follow the conditions specified in the rules.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
RENUKA SHRIVASTAVA, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2025.